"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023—वैशाख 20, शक 1945

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–7/आठ–परि./2022.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,–

द्वितीय अनुसूची के भाग–एक के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) में, शब्द "किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें" के पश्चात्, शब्द "व एम्बुलेंस" अन्तःस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 4th May 2023

NOTIFICATION

No. F 5-7/VIII-Trans./2022.— The following draft amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), Which the State Government, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 23 of the said Adhiniyam, for the information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours in office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

In column (2) of serial number 2 of Part-I of Second Schedule, after the words “Motor cars of any un-Iaden weight”, the words “and ambulances” shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.